

संख्या-239/एक-10-2023-33 (36)/2018 टी०सी०

प्रेषक,

प्रभु एन० सिंह,

सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

सीतापुर एवं बाराबंकी।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ

दिनांक:20/03/2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में बाढ़ से व्यक्तियों/परिवारों को प्रदान की गयी राहत सहायता एवं बचाव से सम्बन्धित कार्यों पर किये गये व्ययों के भुगतान हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष- 2022-23 में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को प्रदान की गयी राहत सहायता एवं बचाव से सम्बन्धित कार्यों पर किये गये व्ययों के भुगतान हेतु बाढ़ मद-02 में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रमशः रू० 1,85,84,742/- एवं रू० 8,44,68,875/- कुल रू० 10,30,53,617/- (रुपये दस करोड़ तीस लाख तिरपन हजार छह सौ सत्रह मात्र) की धनराशि जिलाधिकारी, सीतापुर एवं बाराबंकी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्रमांक	जनपद का नाम	पत्रांक / दिनांक	स्वीकृत धनराशि (रुपये में)
1	2	3	4
	सीतापुर	991/तेरह सी. एफ.-05/(2022-23) / बजट आवंटन/दै.आ./रा.लि./01.03.2023 एवं 973/ तेरह सी.एफ.-05 (2022-23) बजट आवंटन /दै. आ./रा. लि./ 14.02.2023	1,85,84,742/-
2	बाराबंकी	2861/ आपदा लिपिक-बाढ़ मांग- पत्र/ 16.02.2023	8,44,68,875/-
योग			10,30,53,617/-
(रुपये दस करोड़ तीस लाख तिरपन हजार छह सौ सत्रह मात्र)			

नियम व शर्त प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के पूर्व शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10 (28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
- (2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं०-33-03/2020-NDM-1 (Vol-II), दिनांक-10.10.2022 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी है, का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढकर सुनाया भी जाये।
- (6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना -व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।
- (7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahataup.nic.in/> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०- 2/1-11-2013- रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/ दिनांक 31 मार्च, 2023 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- (9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तान्कन कराया जाये और

प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये 10,30,53,617/- (रुपये दस करोड़ तीस लाख तिरपन हजार छह सौ सत्रह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245058000602 बाढ़ से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-13/ 2022/बी-1- 454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by प्रमु नारायण

सिंह

Date: 20-03-2023 16:55:02

Reason: Approved
(प्रमु एन 8 सिंह)

सचिव।

संख्या-239 (1)/एक-10-2022-33(36)/2018 टी० सी०-1, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ० प्र०, प्रयागराज।
- 2- संबंधित मण्डलायुक्त ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ० प्र० शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ० प्र०।
- 6- संबंधित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)

विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2022-2023
आवंटन दिनांक-22/03/2023

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

239
001-239
51 राजस्व विभाग (द्वी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आवंटन)
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 -
02 - बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	सीतापुर-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	18584742 445931104	18584742 445931104
2	बारबंकी-4217-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रणामी	84468875 368073156	84468875 368073156
	योग	वर्तमान प्रणामी	103053617 814004260	103053617 814004260

महायोग-(वर्तमान आवंटन):-
महायोग-(प्रणामी आवंटन):-

रूपया दस करोड़ तीस लाख तिरपन हजार छः सौ सत्रह
रूपया इक्कासी करोड़ चालीस लाख चार हजार दो सौ साठ

(अखिलेश प्रताप सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी